न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)
PH:-01420-228487
E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–101/2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः–31.08.2023

उनवान– 1. किस्तूरी देवी पुत्री रामजीलाल पत्नी नंदलाल जाति मीना निवासी जस्सापाडा तह. बॉदीकुई जिला दौसा (राज.) हाल निवासी–43 कच्ची बस्ती बाईस गोदाम गली नं. 03 जयपुर

बनाम

1. हजारी पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी जस्सापाडा तह. बॉदीकुई जिला दौसा (राज)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बॉदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा (राज)

दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं.–101/2023 सन्–2023

निर्णय दिनांक 31.08.2023

वादिया द्वारा वाद पत्र दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया कि ग्राम जस्सापाडा तह. बॉदीकुई जिला दौसा स्थित भूमि काश्त खाता सं. नया 75 पुराना 69 के खसरा नं. 1173/557, 548, 552, 553, 554, 570 लगायत 573 कुल किता–09 कुल रकबा 2.54 हैक्ट. जो भूमि वादिया के पिता रामजीलाल के कब्जे व स्वामित्व की भूमि रही है तथा रामजीलाल की वादिया पुत्री है जो रामजीलाल की एकमात्र वैद्य प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी है तथा रामजीलाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामान्तकरण बनारसी पत्नि रामजीलाल के नाम इन्द्राज कर दिया है। उपरोक्त वर्णित भूमि के साबिका नं. 148 रकबा 7 बीघा 9 बीस्वा, साबिका नं. 150 रकबा 4 बीघा 18 बीस्वा, साबिका नं. 151 रकबा 2 बीघा 12 बीस्वा, साबिका नं. 165 रकबा 6 बीघा 16 बीस्वा, साबिका नं. 166 रकबा 1 बीस्वा, साबिका नं. 167 रकबा 5 बीघा 2 बीस्वा, साबिका नं. 168 रकबा 4 बीघा 4 बीस्वा, साबिका नं. 169 रकबा 2 बीघा, साबिका नं. 170 रकबा 5 बीघा 16 बीस्वा, साबिका नं. 425/157 रकबा 1 बीघा 14 बीस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 40 बीघा 12 बीस्वा रहे हैं जिसमें वादिया के पिता रामजीलाल का हिस्सा 1/4 का इन्द्राज हो रहा है। रामजीलाल की मृत्यु के बाद रामजीलाल की पत्नि बनारसी अपने देवर कानजी से नाता विवाह कर लिया तथा कानजी की सम्पत्ति पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करती रही। रामजीलाल के कोई पुत्र संतान नहीं थी वादिया एकमात्र रामजीलाल की पुत्री थी जो रामजीलाल की वैद्य प्रतिनिधि थी तथा रामजीलाल की मृत्यु के बाद वादिया अपने नाम रामजीलाल की विरासत का नामान्तकरण खुलवाने की अधिकारी थी किन्तु राजस्व कर्मचारियों से सांज कर तथा ग्राम पंचायत में गलत कथन कर बनारसी जो कि कानजी की जरिये नाता प्रथा से पत्नि बन चुकी थी तथा रामजीलाल की संपत्ति में उसके समस्त अधिकार समाप्त हो चुके थे तथा रामजीलाल की मृत्यु के समय वादिया सम्पूर्ण संपत्ति की एकमात्र मालिक व स्वामी थी किन्तु ग्राम पंचायत आभानेरी ने साज कर नामान्तकरण सं. 108 आदेश दिनांकः 25.06.1975 को अवैध रूप से बनारसी ने अपने नाम खुलवा लिया। जो नामान्तकरण अवैध व शून्य होने से निरस्त होने योग्य है। वादिया के पिता रामजीलाल के देहान्त होने पर उक्त भूमि का उनकी विरासत का इन्तकाल वादिया की नाबालिगी में ही

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

बनारसी ने ग्राम पंचायत आभानेरी के सरपंच व राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर अकेले अपने नाम दर्ज करा लिया। ग्राम पंचायत आभानेरी ने बिना जॉच किये व बिना विरासत की जॉच किये वादिया के नाम को छोडते हुये मात्र बनारसी के नाम पर उक्त नामान्तकरण को अवैध रूप से स्वीकार कर लिया जो नामान्तकरण प्रारम्भतः बमुकाबले वादिया शून्य क्लेदम व बेअसर हैं। बनारसी के नाम उक्त नामान्तकरण अकेले के नाम तस्दीक होने के पश्चात हाल सैटलमैन्ट में उक्त भूमि में रामजीलाल के हिस्से की भूमि के नये खसरा नम्बरान 548, 552, 553, 554, 570 लगा. 573, 1773/551 कुल किता 09 कुल रकबा 0.54 हैक्ट. बन गये। जो अकेले बनारसी पत्नि रामजीलाल के नाम उक्त अवैध नामान्तकरण के आधार पर दर्ज रिकार्ड कर दिये गये, जबकि विवादित भूमि महज वादिया अकेली की खातेदारी कब्जे–काश्त की भूमि है। अपीलाण्ट के पिता रामजीलाल की मृत्यु के तुरन्त पश्चात बनारसी ने अपने देवर कानसिंह से नाता विवाह कर लिया व बतौर पत्नि कानसिंह के साथ रहने लग गई। तत्पश्चात से ही उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वादिया ही काबिज रहकर काश्त करती लाभान्वित होती चली आ रही है। वादिया अपनी नौकरी के सिलसिले में जयपुर ही रहती है तथा समय–समय पर अपनी कृषि भूमि को संभालने व फसल उपज लेने व बोने आती रहती है इसलिये वादिया को कभी राजस्व रिकार्ड देखने की आवश्यकता नहीं पडी। ग्रम पंचायत आभानेरी द्वारा नामान्तकरण सं. 108 दिनांकः 25.06.1975 से बनारसी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते नामान्तकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है तथा उक्त अवैध नामान्तकरण की बाबत वादिया को दिनांकः 03.11.2017 जानकारी होने पर वादिया ने एक अपील नामान्तकरण सं. 12/2017 प्रस्तुत की जिसमें नामान्तकरण सं. 108 दिनांकः 25.06.1975 को निरस्त कर तहसीलदार को जॉच हेतु रिमाण्ड किया किन्तु तहसीलदार द्वारा उसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, बनारसी द्वारा भूमि मुतदाविया का बिना हक अधिकार अवैध रूप से लोन जारी कर लिया। जिसका भुगतान भी वादिया द्वारा किया गया। बनारसी उक्त नामान्तकरण दिनांकः 25.06.1975 से पूर्व ही अपने देवर कानजी से नाता विवाह कर लिया तथा कानजी की बतौर पत्नि रही। जिसका इन्द्राज राजस्थान निर्वाचक नामावली एवं पहचान पत्र में बनारसी पत्नि कानजी का इन्द्राज हो रहा है तथा बनारसी, कानजी के साथ नाता विवाह कर लेने से तथा रामजीलाल के वादिया एकमात्र वैद्य प्रतिनिधि रामजीलाल की पुत्री होने से तथा तत्कालीन नामान्तकरण की कार्यवाही के समय वादिया नाबालिग होने से ग्राम पंचायत से बनारसी व कानजी ने मिलकर वादिया के हक अधिकार की भूमि का नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया। बनारसी की मृत्यु होने से भी रामजीलाल की संपत्ति में वादिया एकमात्र वैद्य प्रतिनिधि होने से भूमि मुतदाविया में अपने नाम की उद्घोषणा कराने की अधिकारी है। भूमि मुतदाविया से प्रतिवादी सं. 01 का किसी प्रकार का कोई संबंध या सरोकार नहीं है किन्तु प्रतिवादी सं. 01 वादिया की उपरोक्त भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर आमादा रहता है तथ काश्त करने में व्यवधान करता है। वादिया महिला है तथा प्रतिवादी सं. 01 से लडने में सक्षम नहीं है। इसी का फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 01 वादिया की भूमि में दखलान्दाजी पैदा करता रहता है तथा भूमि में खडे पेड–पौधों को वादिया की बिना सहमति काट देता है तथा जबरन कब्जा करने की धमकी देता है। दिनांकः 10.07.2023 को वादिया अपनी भूमि पर फसल की देखभाल के लिये आयी तो प्रतिवादी सं. 01 ने ऐलानियां धमकी दी कि या तो वह उपरोक्त भूमि को प्रतिवादी के नाम बेचान कर दे नहीं तो वह जबरन कब्जा करेंगें तथा वादिया को उसके हक–अधिकारों से हमेशा–हमेशा के लिये वंचित कर देंगें। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि ग्राम जस्सापाडा तह. बॉदीकुई जिला दौसा स्थित भूमि काश्त खाता सं. नया 75 पुराना 69 के खसरा नं. 1173/557, 548, 552, 553, 554, 570 लगायत 573 कुल किता–09 कुल रकबा 2.54 हैक्ट. में राजस्व रिकार्ड में बनारसी पत्नि रामजीलाल का राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो गलत इन्द्राज किया हैं। उसको हजफ किया जाकर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा भूमि उपरोक्त में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर से

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा न करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता मय जवाब दावा उपस्थित आये। प्रतिवादी सं. 01 की ओर से सहमति का जवाब पेश किया गया। साक्ष्यवादी शपथ पत्र किस्तूरी देवी पुत्री रामजीलाल व गोपाल पुत्र मूलचन्द के पेश किये गये। दस्तावेजात प्रदर्श डाले गये। प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह पूर्ण की गई। साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभयपक्ष वकील ने बहस में वादपत्र एवं जवाब दावा में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस उभयपक्ष वकील पर मनन किया। वादिया वादपत्र एवं जवाब दावा में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी संवत 2073–76 ग्राम जस्सापाडा खाता सं. नया 75 पुराना 69, मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम जस्सापाडा, खतौनी जमाबन्दी संवत 2034–2037 ग्राम जस्सापाडा, खतौनी जमाबन्दी संवत 2030–34 ग्राम जस्सापाडा, नामान्तकरण सं. 108, सरपंच ग्राम पंचायत आभानेरी प्रमाण पत्र दिनांकः 21.08.2017, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र बनारसी पत्नि कानजी, छायाप्रति मतदाता सूची ग्राम जस्सापाडा, छायाप्रति नोड्यूज इण्डियन ओवरसीज बैंक दिनांकः 01.07.2021 का अवलोकन किया। दस्तावेजात अवलोकन से नामान्तकरण सं. 108 दिनांकः 23.06.1975 बनारसी बेवा रामजीलाल के नाम विरासत दर्ज होना अंकित है। जिसका साबिक जमाबन्दी संवत 2034–2037 ग्राम जस्सापाडा में बनारसी बेवा रामजीलाल जाति मीना के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हुआ। तथा राजस्व जमाबन्दी संवत 2073–76 ग्राम जस्सापाडा खाता सं. नया 75 पुराना–69 बनारसी पत्नि रामजीलाल के ही बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त दस्तावेजातों एवं सरपंच ग्राम पंचायत आभानेरी प्रमाण पत्र दिनांकः 21.08.2017 के आधार पर बनारसी का रामजीलाल की बेवा होना एवं वादिया किस्तूरी का रामजीलाल की एकमात्र वारिस एवं वैद्य प्रतिनिधि होना प्रकट है। छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र एवं राजस्थान की निर्वाचक नामावली–2014 ग्राम जस्सापाडा भाग सं. 176 में बनारसी के पति का नाम कानजी अंकित होने से प्रतीत होता है कि रामजीलाल की मृत्यु के बाद रामजीलाल की पत्नि बनारसी का कानजी से नाता विवाह हुआ है तथा कानजी की जरिये नाता प्रथा से पत्नि बन चुकी बनारसी के रामजीलाल की संपत्ति में समस्त अधिकार समाप्त हो चुके थे। रामजीलाल की मृत्यु के बाद वादिया रामजीलाल की एकमात्र संतान पुत्री एवं वैद्य प्रतिनिधि होने के कारण अपने नाम रामजीलाल की विरासत का नामान्तकरण खुलवाने की अधिकारी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बिना विरासत की जॉच किये वादिया के नाम को छोडते हुये मात्र बनारसी के नाम पर उक्त नामान्तकरण को स्वीकार कर लिया जो विधि संगत नहीं है। अब बनारसी की मृत्यु होने से भी रामजीलाल की संपत्ति की वादिया एकमात्र वैद्य प्रतिनिधि है। प्रस्तुत साक्ष्यवादी शपथ पत्र में भी वादग्रस्त भूमि पर वादिया किस्तूरी का ही कब्जा काश्त होना बताया है। तथा प्रतिवादी सं. 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दावा वादिया डिक्री फरमाने बाबत सहमति प्रकट की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर यह प्रकट है कि वादिया किस्तूरी रामजीलाल की एकमात्र वारिस एवं वैद्य प्रतिनिधि है तथा वादग्रस्त भूमि वादिया की कब्जे काश्त की भूमि है। तथा वादिया रामजीलाल की एकमात्र विधिक वारिसान होने के कारण वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन से वादिया वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर वादिया वाद दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जस्सापाडा तह. बॉदीकुई जिला दौसा स्थित भूमि काश्त खाता सं. नया 75 पुराना 69 के खसरा नं. 1173/557, 548, 552, 553, 554, 570 लगायत 573 कुल किता–09

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

कुल रकबा 2.54 हैक्ट. में राजस्व रिकार्ड में बनारसी पत्नि रामजीलाल का जो गलत इन्द्राज किया है उसको हजफ किया जाकर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्त वर्णित भूमि में वादिया के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करें। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.08.2023 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)